Niryat Patrika

A monthly newsletter *May 2022*

Uttar Pradesh Export Promotion Council

Set up under Department of MSME & Export Promotion, Government of Uttar Pradesh

Niryat Bhawan, 8, Cantt. Road, Qaiserbagh, Lucknow, Uttar Pradesh 226001

From the Editor-in-chief's desk

Dear Readers,

Editor-in-chief
Dr. Navneet Sehgal,
ACS, Deptt. of MSME & Export Promotion

I am pleased to apprise and congratulate you on Uttar Pradesh's unmatched export performance in FY 21-22. The state exported a total of INR 156 Crore of merchandise exports in FY 21-22, registering a growth of 30% as compared to FY 20-21 figures. We have successfully achieved the target of crossing INR 150 Crore export mark and maintained our contribution of ~5% in India's exports.

To further support the state's exporters in their internationalization journey, the state government has undertaken several export promotion activities, including a dedicated focus towards improving the export of champion services sectors of Uttar Pradesh. We have recently organized an interactive session on Tourism and Medical Value Travel sectors of Uttar Pradesh. Workshops for Education, Logistics and IT & ITeS sectors are in pipeline. Our team has been connecting regularly with the Indian missions in target markets to explore the potential opportunities for the state's exporters, identify key trade events for participation, etc. In terms of policy support, the Government of Uttar Pradesh recently revised the fiscal and non-fiscal support being provided under the Marketing Development Assistance (MDA) scheme, the Gateway Port Scheme and the Air freight rationalization scheme. The new GOs are also provided in this edition which details on the rate of incentives, new areas being incentivized and simplification of processes for obtaining these incentives.

This May 2022 edition of 'Niryat Patrika' discusses in detail the Global Furniture sector, the manufacturing & export capabilities present in Uttar Pradesh that can trigger growth of furniture exports. Saharanpur Wood Craft which is globally recognized for its intricate carving and product design is also discussed. It is also recognized as a GI Product & ODOP product for Saharanpur district of Uttar Pradesh.

We look forward to your feedback and inputs. Our telephonic and email helpdesk is available at your disposal for any export related queries.

Feature article

Sector in Focus – *Furniture*

The total market size of the Furniture industry is estimated at USD 468 Bn in 2021. The global market is estimated to grow at a CAGR of 5.3% between 2020 to 2025. India accounts for a ~11% share of the global market.

> *India's Furniture market is estimated to grow at an accelerated CAGR of 12.25% between 2020 & 2025*

A high potential of growth is envisaged for the Indian furniture industry because of growth drivers like, surge of e-commerce platforms, growth of Ready to Assemble (RTA) furniture, growth of residential real estate sector, increasing disposable income of Indian population, growth of tourism & hospitality industry, exposure to global cultures, designs, disruption of supply chains & shift of production base from China, change in lifestyle and work modes post-COVID, urbanization, etc. The RTA furniture market, is itself estimated to emerge as a USD 18 Bn market by 2025. Wooden & metal furniture segment contributes to ~90% of the overall market.

Figure 1. Market segmentation by material type

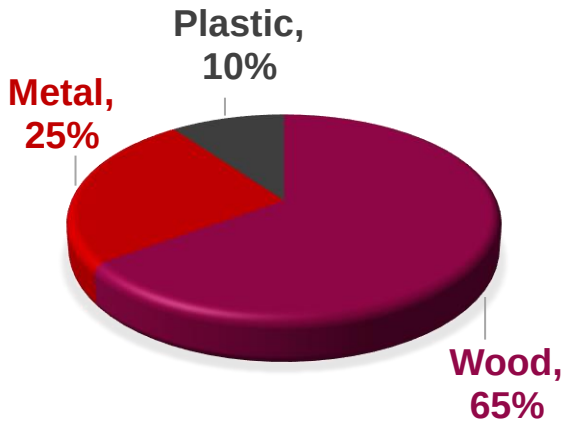

Figure 2. Projected market size of Furniture industry

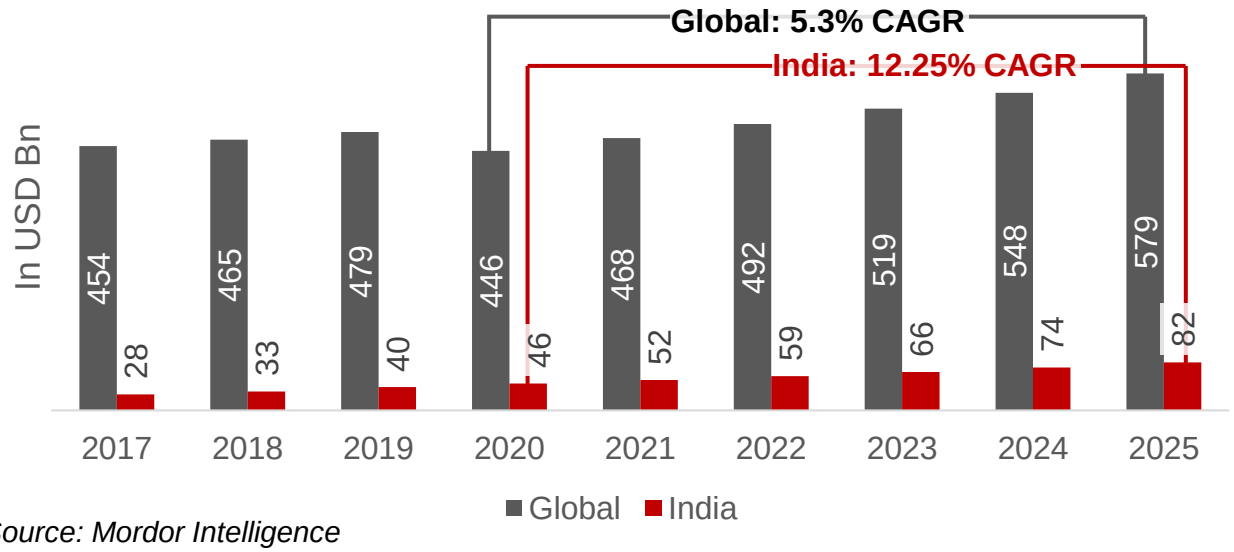

Source: Mordor Intelligence

Trade data analysis for Furniture & furnishing articles

The global furniture and furnishing market is largely import based, international trade accounted for ~60% of the total market size. The total value of furniture and furnishing articles imported globally in 2021 is USD 290 Bn. The global imports grew at a CAGR of 5.6% during the last 5 years.

USA, Germany, UK, France, Netherlands, Canada, Japan, Poland, Australia and Spain are the leading importers, accounting for more than 60% of global imports.

> *The global import of Furniture and furnishings increased by 25% post COVID disruptions in 2020.*

China is the largest supplier of furniture globally, contributing to ~40% of global exports, followed by Germany, Vietnam, Poland, Italy, Mexico, etc.

Figure 3. Top importing countries for furniture

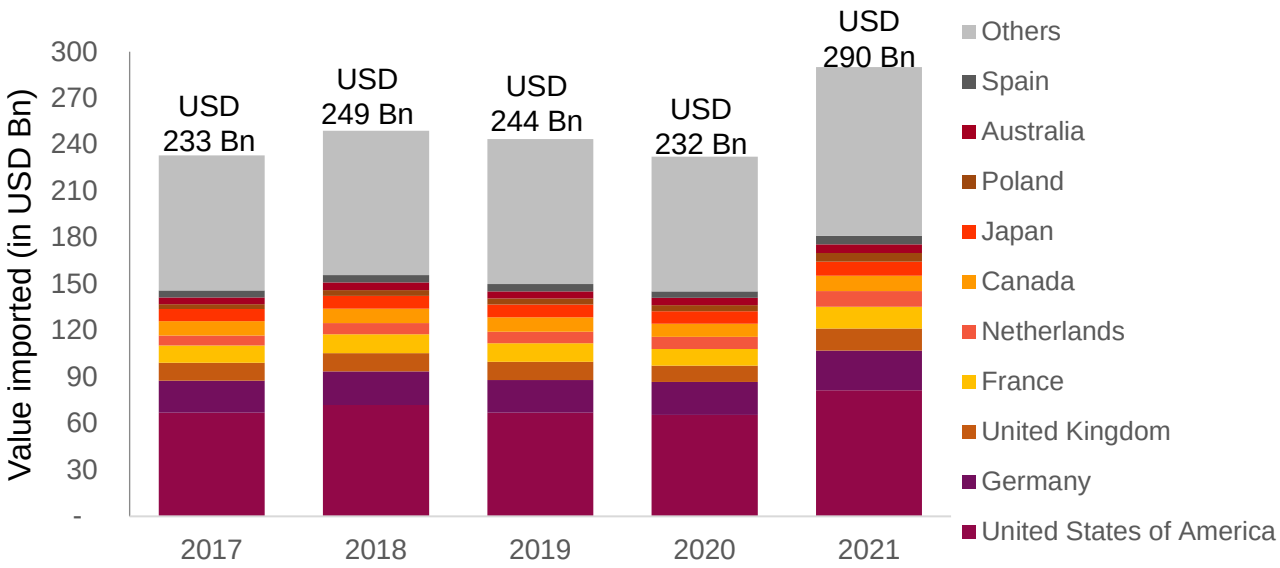

The key product segments with a share of ~90% of furniture and furnishing imports globally are home & office furniture, Seating furniture, Lamps & light fittings. Home & office furniture is one of the fastest growing segments globally.

Figure 4. Key import segments in furniture sector

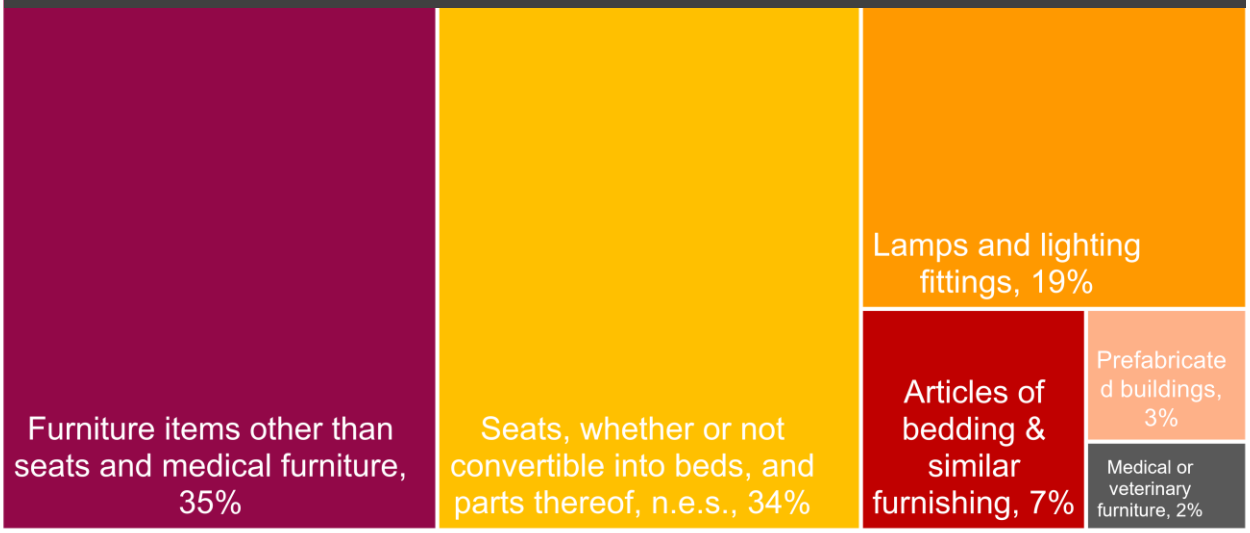

Source: Official website of ITC TradeMap

Furniture & furnishing exports from Uttar Pradesh

Uttar Pradesh is the second largest state in India in terms of Furniture & furnishing exports. On an average, UP contributes to ~20% of India's furniture & furnishing exports. Uttar Pradesh's furniture exports doubled during the last 5 years, growing from USD 220 Mn in FY 2017-18 to USD 572 Mn in FY 21-22, growing at a CAGR of 27%.

The top 10 destination markets of exports from Uttar Pradesh are USA, UK, France, Netherlands, Germany, UAE, Spain, Belgium and Canada.

In addition to the existing markets, exporters may explore Sweden, Denmark, Saudi Arabia, Italy, Malaysia, Poland, etc. as potential markets for upscaling & diversification.

Figure 5. Heatmap of Furniture & furnishing exports

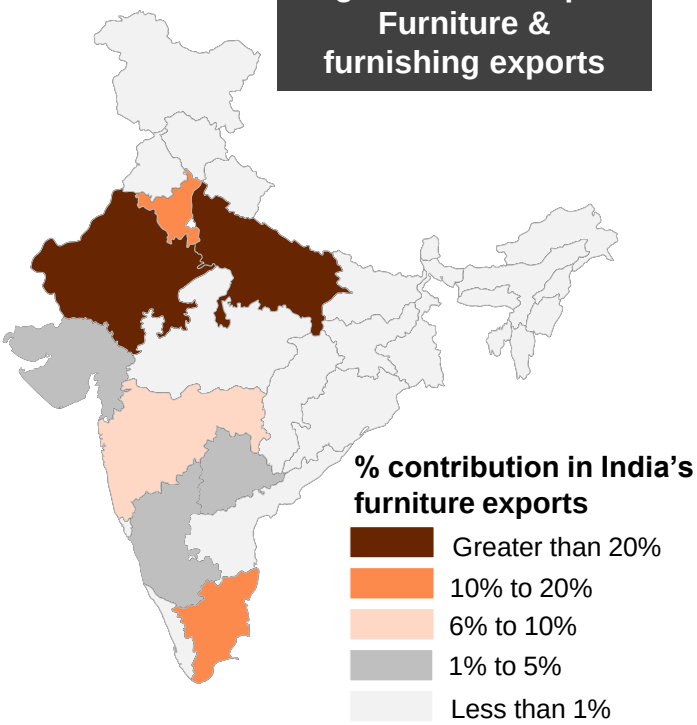

Source: Official website of Directorate General of Statistics & Commercial Intelligence (DGCIS)

Figure 6. Countrywise furniture exports from Uttar Pradesh

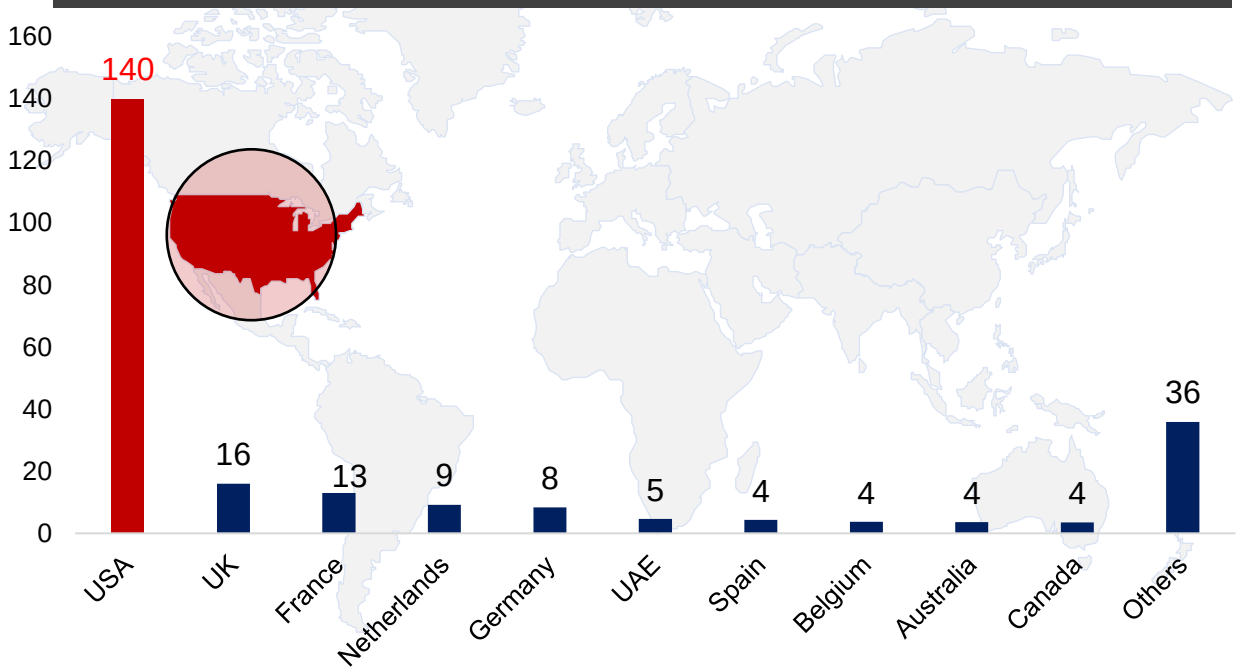

Source: Official website of Directorate General of Statistics & Commercial Intelligence (DGCIS)

On an average, Uttar Pradesh exported ~USD 416 Mn of furniture and furnishing articles during the last 3 financial years. The key commodities being exported from Uttar Pradesh are articles of bedding, metal & wooden furniture, accounting for ~60% of total furniture & furnishing exports from Uttar Pradesh. The top 10 products at HS 6 level, along with their average value exported from UP and top 3 markets served from Uttar Pradesh have been detailed in Table 1 on page 04.

Table 1. Export data for furniture & furnishings being exported from Uttar Pradesh

S. N.	HS Code	Description	UP's exports, 3-year av., FY20 – FY 22 (USD Mn)	% Share in total furniture exports	Top 3 markets served by UP
1	940490	Articles of bedding and similar furnishing, fitted with springs or stuffed or internally filled with any material or of cellular rubber or plastics	134	32%	USA, France, UK
2	940320	Metal furniture (excluding for offices, medical, surgical, dental or veterinary furniture)	57	14%	USA, UK, Netherlands
3	940360	Wooden furniture (excluding for offices, kitchens and bedrooms, and seats)	55	13%	USA, Germany, France
4	940389	Furniture of other materials, including cane, osier or similar materials (excluding of bamboo, rattan, metal, wood and plastics, medical, surgical, dental or veterinary furniture)	55	13%	USA, Netherlands, UK
5	940510	Chandeliers and other electric ceiling or wall lighting fittings (excluding for lighting public open spaces or thoroughfares)	26	6%	USA, UK, Netherlands
6	940520	Electric table, desk, bedside or floor-standing lamps	20	5%	USA, Netherlands, UK
7	940550	Non-electrical lamps and lighting fittings, n.e.s.	21	5%	USA, UK, Netherlands
8	940599	Parts of lamps and lighting fittings, illuminated signs and nameplates and the like, n.e.s.	12	3%	USA, UK, Sweden
9	940190	Parts of seats, n.e.s.	9	2%	USA, UK, China
10	940390	Parts of furniture, n.e.s. (excluding of seats and medical, surgical, dental or veterinary furniture)	5	1%	USA, Netherlands, UK
		Others	23	6%	
		Total	**417**	**100%**	

Source: Official website of Directorate General of Statistics & Commercial Intelligence (DGCIS)

Furniture manufacturing in Uttar Pradesh

Uttar Pradesh has been a hub of artisan based, indigenous products, being manufactured across different regions of the state. Woodwork and furniture manufacturing is one of the key crafts being practiced by artisans of the state.

Uttar Pradesh produced a total manufacturing output of INR 3462 Crore from the furniture sector and INR 2188 Crore of manufacturing of wood and wood products.

The government of Uttar Pradesh identified Saharanpur, Raebareli, Basti and Maharajganj as the key districts in the One District One Product (ODOP) program for furniture manufacturing and woodwork.

ODOP products – Furniture & woodwork

Figure 7. Key Furniture manufacturing districts in UP

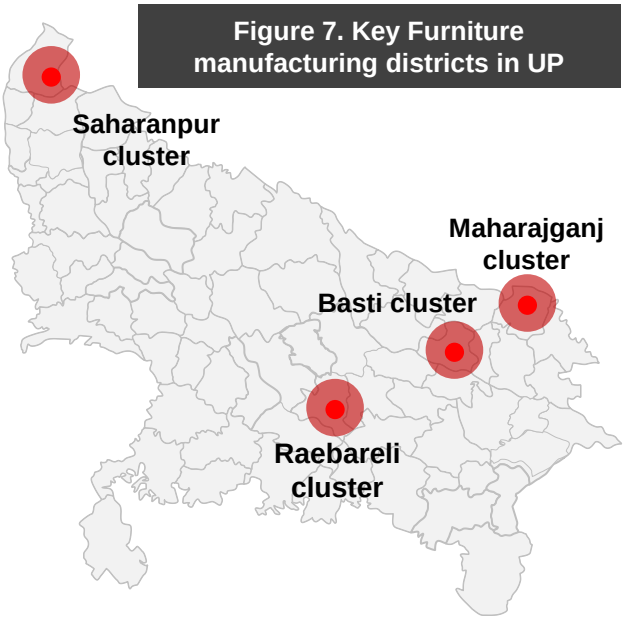

Maharajganj is the ODOP district for furniture and Saharanpur, Raebareily and Basti are the ODOP districts for wood-work.

In addition to the above, GB Nagar, Ghaziabad, Meerut and Agra are other key clusters of furniture and wood manufacturing in the state. Manufacturers from Saharanpur, Raebareily & Basti are largely involved in manufacturing of wood crafted artisanal products. There are several industry associations in India involved in promotion of furniture manufacturing, like, Association of Furniture Manufacturers and Traders (AFMT), Association of Architects, Builders, Interior Designers & Allied (ABID), etc.

Export Promotion Council for Handicrafts (EPCH) through its regional centers in Moradabad and Saharanpur supports the ecosystem in technological upgradation, product designing and export promotion. Additionally, EPCH also supports the ecosystem stakeholders through their initiatives in backward integration, skill development and capacity building.

G.I. registration of Saharanpur Wood Craft

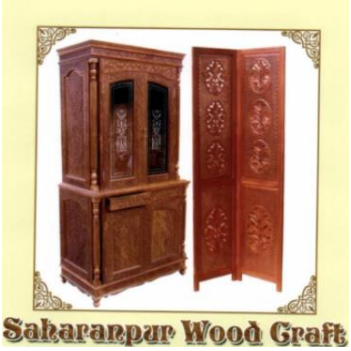

In picture: Registered logo for Saharanpur Wood Craft.

Saharanpur wood craft has been famous for its intricate carvings and beautiful designs. The craft is about 400 years old and started in the form of an art work of comb, gradually it evolved into a diverse portfolio of mirror frames, jewelry boxes, pen stands, trays, letter racks, wall panels, carved furniture, wall partitions etc. The size of the Saharanpur woodwork industry is estimated to be approximately INR 1000 Crore.

Saharanpur wood craft designs draw inspiration from natural flora. Motifs of leaves, fruits, trees, geometric patterns, etc. beautifully carved on hardwood, sheesham, teak and mango wood. Mughal and Sultanate influence is also observable in these designs. Hardwood is used in woodcraft, Sheesham is the key raw material used in manufacturing of Furniture. The industry gradually evolved from wood carving to engraving with Silver and brass.

There are two types of wood carved goods being manufactured at Saharanpur. New designs and new product lines are mostly manufactured for the international market. The unique conventional designs/ goods are produced for both the international and domestic markets.

It is difficult to assign a specific artistic or physical characteristic to the extremely wide product spectrum of Saharanpur Wood Craft. The uniqueness of Saharanpur wood craft is an intangible characteristic, drawn from an excellent wood craftsmanship developed over a long and continuous legacy of wood craft.

The salient features of the products being manufactured in Saharanpur includes use of hardwood, teak, mango and sheesham wood as raw materials, floral and geometric patterns, Mughal influence on product designs, Kashmiri influence in terms of Chinar tree engravings, Wax, spirit and Buff polishing for finishing the products.

GI Tag number 184 was awarded to the Wood Craft Design and Development Society for Saharanpur Wood Craft on 31 March 2014 by the Registrar of Intellectual Property Rights. The key markets where Saharanpur wood craft products are exported to includes USA, France, Spain, Italy, Belgium, Holland, UAE & Saudi Arabia.

In picture: Wood craft products being manufactured in Saharanpur, Uttar Pradesh

Success Story –Zeenat Handicrafts

In picture: Mr. Shiraz Alam, Proprietor and Mr. Kashif Afzal, Director, Zeenat Handicrafts, Saharanpur

Zeenat handicrafts is one of the leading export company of wooden handicrafts for household and gift items with a wide range of Accent furniture, Wall décor & houseware items. The company has its office and manufacturing unit in Saharanpur, Uttar Pradesh.

Zeenat handicrafts has a legacy of ~50 years in manufacturing high quality wood crafted furniture and wood décor products. The company was recognized by the hon'ble president of India for its export performance. Zeenat handicrafts was also facilitated with several other export awards including EPCH's export award & the state's best performance for exports award in 1988-89 and the state's export excellence award in 2019-20.

Zeenat Handicrafts was established in 1975 by Mohammad Afzal, building upon the family legacy of craftsmanship in woodwork, with a small investment. The company evolved into one of the leading exporting companies for woodcraft and furniture products, mitigating the highly turbulent export market.

Mr. Shiraz Alam and Mr. Kashif Afzal took over the management of the company in October 2016, post the sad demise of their father Mohammad Afzal, to take forward the company's vision of emerging as a key export unit for wood products.

Zeenat handicrafts has secured its market position by virtue of their product quality, innovative product designs, timely delivery of orders and manufacturing prowess. The products have been featured as best-sellers by their vendors in the international market. To further improve the quality, the company established a new fully automatic manufacturing facility in Saharanpur. Smt. Anandi Ben Patel, Hon'ble governor of Uttar Pradesh visited this new facility and appreciated the company's initiatives to increase exports.

In FY21-22, the company exported a total of INR 53 Crore value of wood products. The unit supported 750 families, generating employment for ~2000 workers. The company's leadership firmly believes that the state's ODOP scheme has played an important role in improving exports.

In picture: Manufacturing facility, Zeenat Handicrafts

Success Story – Zaara Overseas

Zaara Overseas was started by Mr. Khizer Hayat Khan and Mr. Zeeshan Khan in 2011 from a rented premises in 2011. The Khan brothers pursued their passion towards integrating the legacy of Saharanpur wooden craft with modern product designs despite limited resources and support.

In 2012, the company shifted to a larger rented factory on the outskirts of Saharanpur with a small team of employees. In 2015, the Khan brothers invested in a new factory, located ~10kms away from the city center.

With a passion for making a space in furniture and wood craft product manufacturing ecosystem, the company has been able to grow into one of the leading manufacturers and exporters in Saharanpur despite several challenges.

In picture: Mr. Khizer Hayat Khan, receiving the state export award at Vanijya Saptah in Lucknow

Zaara Overseas also received the state export award in 2020 for their exceptional export performance in wooden artware category. Mr. Khan appreciated the initiatives undertaken by the state for development of a conducive ecosystem of manufacturing and exports in Uttar Pradesh

Snapshot of product profile of Zaara Overseas

Export promotion activities of UPEPC

Discussion with Indian mission in Nigeria

April 2022

UPEPC, in its endeavor to connect with Indian missions in key international markets, reached out to the Indian mission in Nigeria. The objective of the exercise is to identify potential areas of cooperation between the Indian mission & government of Uttar Pradesh for export promotion.

With this background, Mr. Pawan Agarwal, Joint Commissioner – Exports, GoUP along with the UPEPC team presented a trade data analysis of import demand in Nigeria, UP's export capabilities, exports to Nigeria and potential areas of cooperation between Government of Uttar Pradesh and the Indian mission in Nigeria.

Mr. V.S.D.L. Surendra, AHC, High Commission of India, Nigeria appreciated trade analysis undertaken and elaborated on the potential areas of cooperation between UPEPC and the High Commission of India, Nigeria.

Mr. Surendra advised GoUP to participate in the Lagos International Trade Fair, to be organized in November 2022. The Lagos fair is one of the largest international trade fair of the region and may present an opportunity for the state's exporters to showcase their manufacturing & export capabilities, build business connects and obtain export orders.

The discussion group also envisaged to leverage the presence of India Professional Forum in Nigeria, which supports Indian businesses operating in Nigeria and looking forward to diversify in the region.

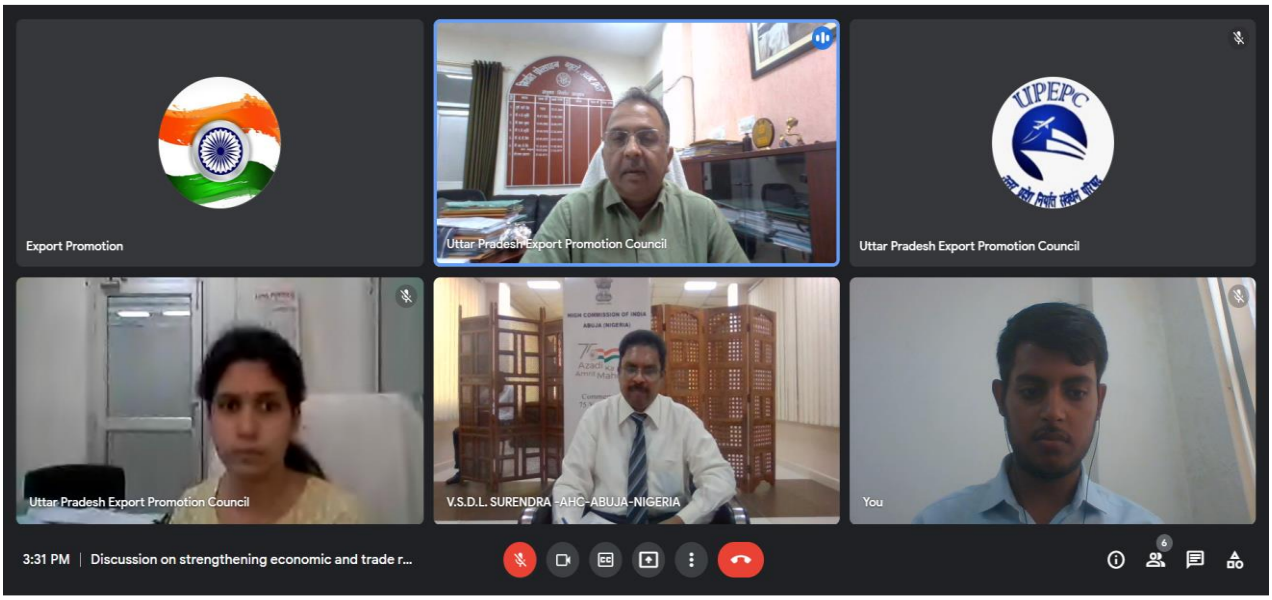

In picture: *Uttar Pradesh Export Promotion Council (UPEPC) team led by Mr. Pawan Agarwal, Joint Commissioner – Exports, in discussion with Mr. V.S.D.L. Surendra, AHC, High Commission of India, Nigeria*

Discussion with Indian mission in the UK

April 2022

In light of the trade agreement being envisaged between India and the United Kingdom, a foreseeable opportunity to ramp up exports from UP to the UK is observed. The Government of Uttar Pradesh through Uttar Pradesh Export Promotion Council reached out to the Indian Mission in the United Kingdom. Mr. Pawan Agarwal, Joint Commissioner - Exports anchored the discussion with the Indian mission in the UK.

Mr. Agarwal apprised the mission of the export promotion activities undertaken by the Government of Uttar Pradesh and the policy initiatives being undertaken. Mrs. Shivangi Singh presented a profile of trade between Uttar Pradesh and the United Kingdom.

She also outlined the potential sectors wherein exports from Uttar Pradesh can be potentially scaled up. Mr. Agarwal further discussed on the potential export promotion activities for which the state seeks support of the Indian Mission in UK.

The Indian mission welcomed the state's efforts in reaching out to explore the potential areas for export promotion. The group further discussed the upcoming trade events in the United Kingdom, trade mission visits etc. that GoUP may also participate in. Select experiences of export promotion activities undertaken by other stakeholders were also discussed.

A list of potential buyers with whom further dialogues may be taken up was also shared. It was further suggested that UPEPC may reach out to the Indian mission in the United Kingdom for trade related activities that may be taken up in the future.

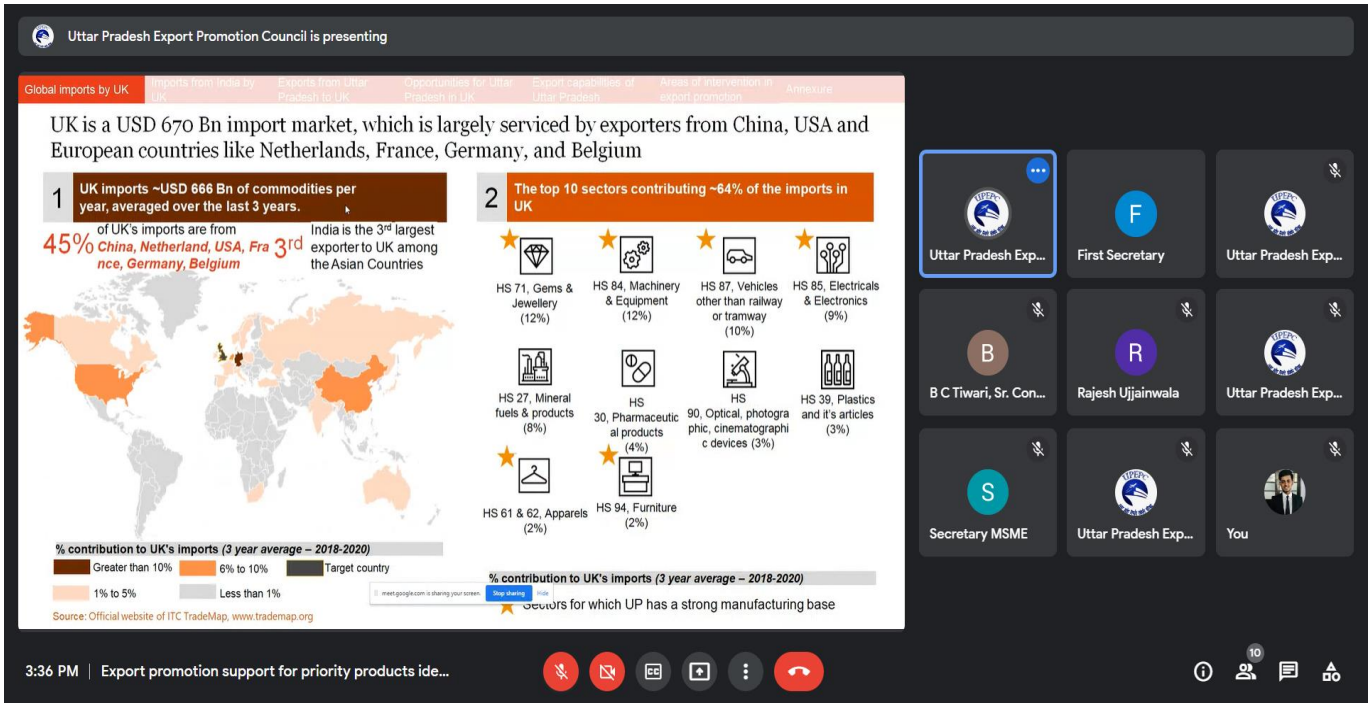

In picture: *Presentation made by Uttar Pradesh Export Promotion Council (UPEPC) to the Indian High Commission in the United Kingdom, detailing on the import profile of the United Kingdom and the potential opportunities for the exporters of Uttar Pradesh*

Interactive session on Tourism & Medical value travel sector in Uttar Pradesh

April 2022

The government of Uttar Pradesh, through Uttar Pradesh Export Promotion Council (UPEPC) and Export Promotion Bureau – Uttar Pradesh (EPB-UP) organized an interactive session on Tourism and Medical Value Travel sector in Uttar Pradesh. The objective of the event was to identify the need gaps and challenges of these sectors and formulate policy interventions to mitigate the same.

In picture: *(right to left)* Mr. Nand Gopal Gupta, hon'ble minister, Industrial development, Investment & export promotion, NRI cell, GoUP, Dr. Navneet Sehgal, ACS, Dept. of MSME & Export Promotion, GoUP, Mr. Sharad Thadani, Honorary Consul for the Netherlands in UP, Mr. Pawan Agarwal, Joint Commissioner - Exports

Mr. Nand Gopal Gupta, hon'ble minister, industrial development, investment & export promotion, NRI Cell joined the event as the chief guest with Dr. Navneet Sehgal (IAS), ACS, MSME & Export Promotion, GoUP. Dr. Sehgal established the agenda of the event and apprised the participants of GoUP's efforts in creating a conducive environment for services exports from Uttar Pradesh.

In picture: Distinguished dignitaries & participants at the interactive session.

In picture: Mr. Nand Gopal Gupta, hon'ble minister, GoUP, addressing the participants at the interactive session

Shri Mukesh Kr. Meshram, DG Tourism discussed about the strategic interventions undertaken by the state for growth of tourism industry in UP and the incentives provided under the Uttar Pradesh Tourism Policy.

The event was organized in partnership with Services Export Promotion Council (SEPC). Dr. Abhay Sinha, DG – SEPC presented the key areas of support provided by SEPC and the potential interventions that may be undertaken by the Government of Uttar Pradesh. Other key dignitaries that joined the discussion are Shri Amit Mohan Prasad, ACS, Medical, Health & Family Welfare and Shri Vedrat Singh, DG – Medical & Health Service

The event brought to light notable suggestions from industry stakeholders that joined the session as speakers & presenters from healthcare and tourism industry. The event was joined by leading stakeholders from Medanta, Dr. Bharti's, Realtooth, Health city hospital, Hotel & Restaurant Association of North India, Travel Agents Association of India (UP & UK chapter) etc.

Revision of export-oriented incentives provided under the U.P. Export Promotion Policy 2020-25

GoUP recently revised the export oriented fiscal incentives provided under the Uttar Pradesh Export Promotion Policy. The state increased the ceilings of MDA, Gateway port subsidy, air freight assistance, etc. The details of the revised incentives are provided in the table below.

S. N.	Area	Revised Incentives	Revised Ceiling	Incentives provided earlier	Old Ceiling
1	Participation in International trade events, B2Bs etc.	**60%** of **Stall charges**	Rs. 2 lakhs	60% of Stall charges	Rs. 1 Lakh
		50% of **economy class air fare**	Rs. 1 Lakh	50% of economy class air fare	Rs. 50,000
2	Participation in virtual trade fairs	**60%** of **expense incurred or Rs.25,000 per event**	Rs. 1 Lakh	–	–
3	Participating in Domestic events of international scale	**60%** of **Stall charges**	Rs. 50,000	–	–
		50% of **economy class air fare, rail or bus fare**	Rs. 25,000	–	–
4	Organizing trade fairs, Buyer seller meets in foreign nations	**75%** of expense incurred by the organizing agency	Rs. 75 Lakhs	–	–
		90% of expense incurred by the organizing agency for markets with high export potential where UP's exports can be potentially scaled up	Rs. 75 Lakhs	–	–
5	Organizing trade fairs in India of international scale	**75%** of expense incurred by the organizing agency	Rs. 50 Lakhs	–	–

S. N.	Area	Revised Incentives	Revised Ceiling	Incentives provided earlier	Old Ceiling
6	Organizing virtual trade fairs	**75%** of expense incurred by the organizing agency	Rs. 25 Lakhs	–	–
7	Advertising, website development, catalogue printing	**60%** of the expense incurred	Rs. 75,000	60% of the expense incurred	Rs. 60,000
8	Cost of sending samples	**75%** of the expense incurred	Rs. 1 Lakh	75% of the expense incurred	Rs. 50,000
9	Certification and quality testing	**50%** of the expense incurred	Rs. 2 Lakhs	50% of the expenses incurred	Rs. 75,000
10	Air freight	**25%** of the air freight charge or **Rs. 100 per kg**	Rs. 5 Lakhs	20% of the air freight charge or Rs. 50 per kg	Rs. 2 Lakhs
11	Gateway port subsidy	**Rs. 10,000 per 20' container** & **Rs. 20,000 per 40' container** or **25%** of the total expense on transportation	Rs. 20 Lakhs	Rs. 6,000 per 20' container & Rs. 12,000 per 40' container or 25% of the total expense on transportation	Rs. 12 Lakhs

The state notified the updated incentive structure on 13 May 2022. Significant revisions are proposed in the incentive ceilings of Marketing Development Assistance (MDA) Scheme, Air freight scheme and Gateway port scheme. In addition to revision of ceilings, the state government also included incentives for expenses incurred for participation in virtual trade events.

The revised scheme also incentivizes organizers of virtual/ physical trade events, buyer-seller meets, etc. with a subsidy of 75% - 90% of the expense incurred, with high ceilings of Rs. 25 – 75 Lakhs, depending on the type of event and attendees.

Keeping in view the surge in freight charges, the state increased the subsidy rates of air freight subsidy scheme and gateway port subsidy scheme. The rates & ceilings of both the schemes have been almost doubled as compared to the previous rates & ceilings. The state also provisioned to incentivize the cost of transportation through trucks under the gateway port scheme to overcome the landlocked state challenge.

To give a thrust to the quality of products and assist exporters and MSMEs in conforming to International quality standards, the ceilings for certification costs is also increased by more than 2 times.

Marketing Development Assistance scheme

संख्या-236 /18-4-2022-10(बजट)/07

प्रेषक,

नवनीत सहगल
अपर मुख्य सचिव
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव उ0प्र0शासन
2. समस्त विभागाध्यक्ष, उ0प्र0
3. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी उ0प्र0

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग- 4 लखनऊ: दिनांक 13 मई, 2022

विषयः त्वरित निर्यात विकास प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत प्रदेश के निर्यातकों को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर विपणन विकास हेतु वित्तीय सहायता।

महोदय,

प्रदेश के निर्यातकों में पारस्परिक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने, विपणन सामर्थ्य के विकास, प्रमुख वैश्विक बाजारों एवं उनकी मांग के विषय में जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र के निर्यातकों को विपणन विकास सहायता योजनान्तर्गत वित्तीय सहायता उपलब्ध कराये जाने के प्राविधान किये गये हैं। उक्त के क्रम में शासनादेश संख्या-1000/18-4-2020-58(विविध)/14, दिनांक 17 दिसम्बर 2020 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश निर्यात नीति 2020-25 में उल्लिखित दिशा निर्देशों के क्रम में "त्वरित निर्यात विकास प्रोत्साहन योजना" के अन्तर्गत "अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर निर्यातकों के लिये विपणन सहायता कार्यक्रम" को समयानुकूल एवं युक्तिसंगत बनाये जाने का निर्णय लिया गया है। अतः उक्त को दृष्टिगत रखते हुए "त्वरित निर्यात विकास प्रोत्साहन योजना" के अन्तर्गत "अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर निर्यातकों के लिये विपणन सहायता कार्यक्रम" को समयानुकूल एवं युक्तिसंगत बनाये जाने हेतु पूर्व में निर्गत समस्त शासनादेशों को अवक्रमित करते हुए योजनान्तर्गत आर्थिक सहायता उपलब्ध कराये जाने हेतु निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धो के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

1- योजनान्तर्गत सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम-2006 द्वारा समय-समय पर परिभाषित उत्तर प्रदेश की समस्त सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम श्रेणी की ऐसी निर्यातक इकाइयॉ, जो आवेदन के समय निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो, उत्तर प्रदेश में पंजीकृत होंगी

E-office Ashwani

तथा केन्द्र/राज्य सरकार के विभिन्न मंत्रालयों द्वारा गठित की गयी निर्यात संवर्धन परिषदें तथा राज्य स्तरीय समिति द्वारा अनुमोदित निर्यातक एवं औद्योगिक संगठन भी इस योजना हेतु सुसंगत प्राविधानों के अधीन निम्नांकित प्रयोजनों हेतु आर्थिक सहायता निम्नानुसार अनुमन्य होगी -

(1.1) विदेशी अथवा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के स्वदेशी मेला-प्रदर्शनी, बायर्स-सेलर्स मीट में प्रतिभाग अथवा आयोजन हेतु आर्थिक सहायता।

(1.2) निर्यात उत्पादों के प्रचार-प्रसार हेतु विज्ञापन, वेबसाइट, कैटलॉग आदि के प्रकाशन, निर्माण एवं मुद्रण आदि हेतु आर्थिक सहायता।

(1.3) विदेशी क्रेता को नमूने (Free Trade Sample) भेजने हेतु आर्थिक सहायता।

(1.4) गुणवत्ता नियंत्रण से सम्बन्धित प्रमाणीकरणों हेतु आर्थिक सहायता।

2. योजनान्तर्गत उपर्युक्त प्रस्तर-2 में उल्लिखित प्रयोजनों हेतु निम्नानुसार आर्थिक सहायता अनुमन्य होगी।

1	निर्यातक इकाई के व्यक्तिगत रूप से विदेशी मेला-प्रदर्शनी अथवा बायर्स-सेलर्स मीट में भाग लेने हेतु आर्थिक सहायता।	(क)	इस प्रयोजन हेतु एक निर्यातक इकाई को स्थल किराये के रूप में व्यय की गयी वास्तविक धनराशि का 60 प्रतिशत, अधिकतम धनराशि रु0 2.00 लाख की आर्थिक सहायता अनुमन्य होगी।
		(ख)	मेला प्रदर्शनी में प्रतिभाग हेतु इकाई के स्वामी/साझेदार/निदेशक अथवा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा वायुयान के इकोनॉमी क्लास में की गयी यात्रा पर व्यय की गयी वास्तविक धनराशि का 50 प्रतिशत, अधिकतम धनराशि रु0 1.00 लाख की आर्थिक सहायता केवल एक व्यक्ति हेतु अनुमन्य होगी, परन्तु इस हेतु प्रदान की जाने वाली आर्थिक सहायता किसी भी दशा में निर्यातक द्वारा स्थल किराये में निर्यातक अंश के रूप में व्यय की गयी धनराशि से अधिक नहीं होगी।

E-office Ashwani

		(ग)	इस श्रेणी के अन्तर्गत आर्थिक सहायता केवल उन्हीं मेला-प्रदर्शनियों एवं बायर्स-सेलर्स मीट में प्रतिभाग हेतु अनुमन्य होगी जिनका आयोजन केन्द्र/राज्य सरकार के अधीन गठित निर्यात संवर्धन परिषदों द्वारा किया गया हो अथवा प्रश्नगत मेला-प्रदर्शनी एवं बायर्स-सेलर्स मीट केन्द्र/ विभिन्न राज्य सरकारों/अपेक्स ट्रेड बाडीज़/ कमोडिटी बोर्डस/वाणिज्य दूतावासों द्वारा संस्तुत या अधिसूचित किया गया हो।
2	निर्यातक इकाई द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के वर्चुअल फेयर में प्रतिभाग करने पर आर्थिक सहायता	(क)	अन्तर्राष्ट्रीय वर्चुअल बी2बी एग्जीबीशन्स अथवा बायर्स-सेलर्स मीट में प्रतिभाग हेतु निर्यातक इकाई द्वारा किये गये कुल व्यय धनराशि का 60 प्रतिशत, अधिकतम धनराशि रू0 25000/- प्रति फेयर की आर्थिक सहायता अनुमन्य होगी।
		(ख)	इस श्रेणी के अन्तर्गत एक निर्यातक इकाई को एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम रु0 1.00 लाख की आर्थिक सहायता अनुमन्य होगी।
		(ग)	इस श्रेणी के अन्तर्गत आर्थिक सहायता केवल उन्हीं अन्तर्राष्ट्रीय वर्चुअल बी2बी एग्जीबीशन्स अथवा बायर्स-सेलर्स मीट के लिए अनुमन्य होगी, जिनका आयोजन केन्द्र/राज्य सरकार के अधीन गठित एक्सपोर्ट प्रमोशन काउन्सिल्स, कमोडिटी बोर्ड्स अथवा निर्यातक संगठनों द्वारा किया गया हो।

3	अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के स्वदेशी मेलों में निर्यातक इकाई के व्यक्तिगत रूप से प्रतिभाग करने हेतु आर्थिक सहायता।	(क)	इस श्रेणी के अन्तर्गत आर्थिक सहायता केवल उन्हीं मेला-प्रदर्शनियों एवं बायर्स-सेलर्स मीट में प्रतिभाग हेतु अनुमन्य होगी जिनका आयोजन केन्द्र/राज्य सरकार के अधीन गठित निर्यात संवर्धन परिषदों द्वारा किया गया हो अथवा प्रश्नगत मेला-प्रदर्शनी एवं बायर्स-सेलर्स मीट केन्द्र/विभिन्न राज्य सरकारों/अपेक्स ट्रेड बाडीज़/कमोडिटी बोर्डस/वाणिज्य दूतावासों द्वारा संस्तुत या अधिसूचित किया गया हो।
		(ख)	इस प्रयोजन हेतु एक निर्यातक इकाई को स्थल किराये के रूप में व्यय की गयी वास्तविक धनराशि का 60 प्रतिशत, अधिकतम धनराशि रू0 50,000/- की आर्थिक सहायता अनुमन्य होगी।
		(ग)	मेला प्रदर्शनी में प्रतिभाग हेतु इकाई के स्वामी/साझेदार/निदेशक अथवा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा बस/रेल/वायुयान के इकोनॉमी क्लास में की गयी यात्रा पर व्यय की गयी वास्तविक धनराशि का 50 प्रतिशत, अधिकतम धनराशि रु0 25,000/- (जो भी कम हो) की आर्थिक सहायता केवल एक व्यक्ति हेतु अनुमन्य होगी।
4	विदेश में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की मेला-प्रदर्शनियों एवं बायर्स-सेलर्स मीट के आयोजन हेतु आर्थिक सहायता	(क)	इस श्रेणी के अन्तर्गत आर्थिक सहायता केन्द्र/राज्य सरकार के विभिन्न विभागों/मंत्रालयों के अधीन गठित निर्यात संवर्धन परिषदों द्वारा विदेश में आयोजित किये

E-office Ashwani

			जाने वाले अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के मेला-प्रदर्शनी एवं बायर्स-सेलर्स मीट के आयोजन हेतु उपलब्ध करायी जायेगी।
		(ख)	इस श्रेणी के अन्तर्गत परम्परागत विदेशी बाजारों में आयोजित किए जाने वाले विभिन्न मेला-प्रदर्शनियों एवं बायर्स-सेलर्स मीट के आयोजन पर हुए कुल व्यय की 75 प्रतिशत अधिकतम रु0 75.00 लाख की धनराशि आर्थिक सहायता के रूप में आयोजक संस्था को उपलब्ध कराई जायेगी।
		(ग)	योजनान्तर्गत गठित राज्य स्तरीय समिति द्वारा अधिसूचित ऐसे अपरम्परागत विदेशी बाजारों जिनका प्रचुर निर्यात सम्भाव्यता के बावजूद प्रदेश के निर्यातकों द्वारा समुचित दोहन नहीं किया जा पा रहा है, में आयोजित किए जाने वाले विशेष श्रेणी के मेला-प्रदर्शनियों एवं बायर्स-सेलर्स मीट के आयोजन हेतु कुल व्यय की 90 प्रतिशत अधिकतम रु0 75.00 लाख की धनराशि उपलब्ध करायी जा सकेगी।
		(घ)	आयोजक संस्था द्वारा इस श्रेणी के अन्तर्गत आर्थिक सहायता हेतु मेला-प्रदर्शनी अथवा बायर्स-सेलर्स मीट के आयोजन के कम-से-कम एक माह पूर्व प्रतिभाग करने वाली सम्भावित निर्यातक इकाईयों की सूची एवं अनुमानित व्यय विवरण के साथ

E-office Ashwani

			आवेदन किया जायेगा।
		(ङ.)	परम्परागत विदेशी बाजारों में आयोजित किए जाने वाले विभिन्न मेला-प्रदर्शनियों एवं बायर्स-सेलर्स मीट में न्यूनतम 20 निर्यातक इकाइयों द्वारा तथा अपरम्परागत विदेशी बाजारों में आयोजित किए जाने वाले विभिन्न मेला-प्रदर्शनियों एवं बायर्स-सेलर्स मीट में न्यूनतम 10 निर्यातक इकाइयों द्वारा प्रतिभाग किया जाना अनिवार्य होगा।
		(च)	मेला-प्रदर्शनियों अथवा बायर्स-सेलर्स मीट के आयोजन हेतु अनुमन्य आर्थिक सहायता की 50 प्रतिशत धनराशि अग्रिम के रूप में आयोजक संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी। शेष धनराशि का भुगतान/समायोजन आयोजक संस्था द्वारा सम्प्रेक्षित व्यय विवरण उपलब्ध कराये जाने के उपरान्त किया जायेगा।
5	अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के स्वदेशी मेलों के आयोजन हेतु वितीय सहायता	(क)	इस श्रेणी के अन्तर्गत आर्थिक सहायता केन्द्र/राज्य सरकार के विभिन्न विभागों/मंत्रालयों के अधीन गठित निर्यात संवर्धन परिषदों द्वारा स्वदेश में आयोजित किये जाने वाले अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के मेला-प्रदर्शनी एवं बायर्स-सेलर्स मीट के आयोजन हेतु उपलब्ध करायी जायेगी।

E-office Ashwani

		(ख)	इस श्रेणी के अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के स्वदेशी मेला-प्रदर्शनी एवं बायर्स-सेलर्स मीट के आयोजन पर हुए कुल व्यय की 75 प्रतिशत अधिकतम रु0 50.00 लाख की धनराशि आर्थिक सहायता के रूप में आयोजक संस्था को उपलब्ध कराई जायेगी।
		(ग)	इस श्रेणी के अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के स्वदेशी मेला-प्रदर्शनी एवं बायर्स-सेलर्स मीट में न्यूनतम 30 निर्यातक इकाइयों द्वारा प्रतिभाग किया जाना अनिवार्य होगा।
6	वर्चुअल मेला प्रदर्शनी के आयोजन हेतु आर्थिक सहायता।	(क)	इस श्रेणी के अन्तर्गत आर्थिक सहायता केन्द्र/राज्य सरकार के विभिन्न विभागों/ मंत्रालयों के अधीन गठित निर्यात संवर्धन परिषदों द्वारा वर्चुअल मेला प्रदर्शनी के आयोजन हेतु उपलब्ध करायी जायेगी।
		(ख)	वर्चुअल मेला-प्रदर्शनी पर हुए कुल व्यय की 75 प्रतिशत अधिकतम रु0 25.00 लाख की धनराशि आर्थिक सहायता के रूप में आयोजक संस्था को उपलब्ध कराई जायेगी।
		(ग)	इस श्रेणी के अन्तर्गत आयोजित वर्चुअल मेला प्रदर्शनी में न्यूनतम 100 एम.एस.एम.ई./हस्तशिल्पी इकाइयों द्वारा प्रतिभाग किया जायेगा, जिनमें से 50 प्रतिशत इकाइयों का निर्यातक होना अनिवार्य होगा।
		(घ)	प्रश्नगत वर्चुअल मेला प्रदर्शनी में क्रेता के रूप में प्रतिभाग/विजिट करने वाली इकाइयों की संख्या एक्ज़ीबीटर/विक्रेता/ निर्यातक

E-office Ashwani

			इकाइयों का न्यूनतम तीन गुना होना आवश्यक होगा।
		(च)	प्रश्नगत वर्चुअल मेला प्रदर्शनी में प्रतिभाग/विजिट करने वाले क्रेता में न्यूनतम 75 प्रतिशत क्रेता का विदेशी क्रेता होना आवश्यक होगा।
7	निर्यात उत्पादों के प्रचार-प्रसार हेतु विदेशी पत्र-पत्रिकाओं, मैगज़ीन, समाचार पत्रों में विज्ञापन का प्रकाशन, नई वेबसाइट के निर्माण, उत्पाद से सम्बन्धित कैटलॉग आदि के मुद्रण एवं डिजिटल कैटलॉग के निर्माण हेतु आर्थिक सहायता।	(क)	इस श्रेणी के अन्तर्गत निर्यातक इकाई द्वारा किये गये वास्तविक व्यय का 60 प्रतिशत, अधिकतम् धनराशि रू0 75,000/- की आर्थिक सहायता अनुमन्य होगी।
8	विदेशी क्रेता को नमूने (Free Trade Sample) भेजने हेतु आर्थिक सहायता।	(क)	विदेशी क्रेता को नमूने (Free Trade Sample) भेजने पर किये गये वास्तविक व्यय का 75 प्रतिशत अधिकतम धनराशि रू0 1.00 लाख की आर्थिक सहायता अनुमन्य होगी।
9	गुणवत्ता नियंत्रण, कम्प्लाइन्सेस/ रेगुलेशन आदि से सम्बन्धित विभिन्न प्रमाणीकरणों जैसे - कन्फर्मिटी यूरोपियन (CE), चाईना कम्पलसरी सर्टिफिकेट (CCC), सी.ई. मार्किंग (CE), आई.एस.ओ., बी.आई.एस.,	(क)	निर्यातक इकाई द्वारा गुणवत्ता नियंत्रण से सम्बन्धित विभिन्न प्रमाणीकरणों का वास्तविक व्यय का 50 प्रतिशत, अधिकतम धनराशि रू0 2.00 लाख प्रति निर्यातक इकाई प्रति वर्ष की आर्थिक सहायता अनुमन्य होगी।

E-office Ashwani

	आर.ई.ए.सी.एच. (REACH) सर्टिफिकेशन, यू.एल. (UL) सर्टिफिकेशन, सी.पी.एस.आई.ए. टेस्टिंग (CPSIA), के.सी. (KC) मार्क, जी.टी.ई.एस. (GTE) सर्टिफिकेशन, एफ.सी.सी. (FCC) सर्टिफिकेशन, वूलमार्क, हाल मार्क एवं एच.ए.सी.सी.पी. (HACCP) आदि प्राप्त किये जाने एवं बायर्स/बायर कन्ट्री द्वारा मांगे जाने पर उक्त प्रमाणीकरणों से सम्बन्धित उत्पादों के परीक्षण (विभिन्न टेस्टिंग लैब्स द्वारा) पर आने वाले व्यय हेतु आर्थिक सहायता।	(ख)	निर्यातक इकाई द्वारा गुणवत्ता नियंत्रण, कम्प्लाईन्सेस/रेगुलेशन आदि से सम्बन्धित प्राप्त किये जाने वाले विभिन्न प्रमाण पत्रों की सूची को समय-समय पर अद्यतन किये जाने का अधिकार योजनान्तर्गत गठित राज्य स्तरीय समिति में निहित होंगे।

3. योजनान्तर्गत आर्थिक सहायता हेतु आवेदन की प्रक्रिया :-

(1) निर्यातक इकाइयों द्वारा कार्य सम्पादन की तिथि से अधिकतम 120 दिन के भीतर दावा ऑनलाइन फाइल किया जायेगा। मेला प्रर्दशनी श्रेणी मे उक्त अवधि की गणना मेला समाप्त होने की तिथि से होगी। नमूना प्रेषण श्रेणी में उक्त 120 दिन की अवधि की गणना दावे में सम्मिलित किये गये नमूनों में से अन्तिम नमूने के प्रेषण एवं तत्संबंधी निर्गत की गई इन्वाइस की तिथि से की जाये। प्रचार-प्रसार श्रेणी के दावो मे उक्त अवधि की गणना कैटलाग प्रिन्टिग संबंधी निर्गत इन्वाइस की तिथि/वेबसाइट डेवलपमेन्ट की तिथि से होगी। आई0एस0ओ0/ बी0आई0एस0 श्रेणी के दावों में उक्त अवधि की गणना सर्टिफिकेट जारी होने की तिथि से होगी।

(2) निर्यातक इकाई द्वारा ऑनलाइन आवेदन के समय अपने दावे के साथ समस्त वांछित अभिलेखों की प्रतियाँ अपलोड भी जानी होगी।

(3) इकाई द्वारा ऑनलाइन आवेदन की तिथि से 07 दिवसों की अवधि तक आवेदन-पत्र मे हुई त्रुटियाँ स्वयं संशोधित की जा सकेगी। इकाई द्वारा ऑनलाइन आवेदन की तिथि से 07 दिवस की अवधि के उपरान्त दावा जिला उद्योग केन्द्र के पोर्टल पर प्रदर्शित होने लगेगा। उपायुक्त द्वारा जिला उद्योग केन्द्र के पोर्टल पर योजनान्तर्गत दावों के प्रदर्शित होने की तिथि से 21 दिवस की अवधि मे पूर्ण पाये गये दावों का परीक्षण कर संस्तुति सहित निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो, उ0प्र0 लखनऊ को अग्रसारित किया जायेगा।

(4) अपूर्ण पाये गये दावों की स्थिति मे उपायुक्त उद्योग द्वारा पोर्टल पर दावे की अपूर्णता एवं उसका विवरण अंकित किया जायेगा। अपूर्ण दावों से संबंधित अभिलेख निर्यातक

E-office Ashwani

इकाई द्वारा 15 दिवसो मे अपलोड किया जाना होगा अन्यथा की स्थिति मे दावा स्वतः निरस्त हो जायेगा। इकाई द्वारा अपूर्ण दावो के संबंध मे औपचारिकताओं को पूर्ण किये जाने पर उपायुक्त उद्योग द्वारा 21 दिवसों की अवधि मे दावे का परीक्षण कर निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो, उ0प्र0 लखनऊ को अग्रसारित किया जायेगा।

(5) उपायुक्त उद्योग द्वारा 21 दिन की निर्धारित समय सीमा में निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो को अग्रसारित अथवा अपूर्णता की स्थिति में इकाई को वापस (Revert) न किये जाने की स्थिति में दावे स्वतः निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो को अग्रसारित हो जायेंगे। निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो द्वारा इस सम्बन्ध में दायित्व निर्धारित करते हुए सम्बन्धित अधिकारी के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

(6) उपायुक्त उद्योग से अग्रसारित दावो पर स्पष्ट संस्तुति होने पर निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा 15 दिवस मे दावे को ऑनलाइन प्राप्त किया जायेगा। निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो द्वारा दावे को ऑनलाइन प्राप्त करने पर दावा एजेण्डे मे सम्मिलित हो जायेगा, जिसे योजनान्तर्गत गठित समिति की बैठक मे विचारार्थ प्रस्तुत किया जायेगा।

4. निर्यातक इकाइयों द्वारा दावों को ऑनलाइन फाइल किये जाने की प्रक्रिया, दावों के परीक्षण करने हेतु निर्यातक इकाई द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले अभिलेखों का निर्धारण एवं इसमें संशोधन का अधिकार राज्य स्तरीय समिति में निहित होंगे। योजनान्तर्गत प्राप्त होने वाले दावों/आवेदन पत्रों को स्वीकृत करने का अधिकार निम्नानुसार गठित राज्य स्तरीय समिति में निहित होगा :-

(1)	निर्यात आयुक्त, निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो, उत्तर प्रदेश	अध्यक्ष।
(2)	निदेशक, कृषि विपणन एवं विदेश व्यापार विभाग, उत्तर प्रदेश	सदस्य।
(3)	वित्त नियंत्रक, उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय उत्तर प्रदेश	सदस्य।
(4)	सम्बन्धित जनपद के उपायुक्त उद्योग	सदस्य।
(5)	संयुक्त/अपर निर्यात आयुक्त, निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो, उत्तर प्रदेश	सदस्य सचिव।

5. योजनान्तर्गत निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो को प्राप्त होने वाले समस्त दावे स्वीकृति हेतु उक्तानुसार गठित समिति के समक्ष प्रस्तुत किये जायेंगे। दावों की स्वीकृति हेतु उक्त समिति की बैठक प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में आहूत की जायेगी। "किसी वित्तीय वर्ष में योजनान्तर्गत समुचित बजट उपलब्ध न होने की स्थिति में अवशेष दावों का भुगतान अगले वित्तीय वर्ष में प्राप्त बजट से किया जायेगा।"

6. इस योजना के अन्तर्गत कोई भी निर्यातक इकाई मेला प्रदर्शनी श्रेणी में एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम 03 बार ही आर्थिक सहायता प्राप्त कर सकती है। किसी भी एक मेला-प्रदर्शनी हेतु पात्र निर्यातक इकाई को इस योजना हेतु आर्थिक सहायता तभी अनुमन्य होगी यदि निर्यातक इकाई द्वारा केन्द्र अथवा राज्य सरकार द्वारा समान उद्देश्य हेतु संचालित किसी अन्य योजना से समान प्रकृति का पूर्ण या आंशिक लाभ न लिया गया हो।

E-office Ashwani

7. योजनान्तर्गत प्राप्त होने वाले दावों की स्वीकृति प्रथम आवत प्रथम पावत के आधार पर की जायेगी तथा बजट उपलब्धता के आधार पर आर्थिक सहायता का वितरण डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर के माध्यम से सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में किया जायेगा।

8. यदि किसी स्तर पर यह पाया जाता है कि इकाई द्वारा योजनान्तर्गत अनुमन्य आर्थिक सहायता का दुरूपयोग किया गया है अथवा जानबूझ कर गलत तथ्य/विवरण प्रस्तुत किये गये हैं अथवा छिपाये गये हैं तो इकाई से सम्पूर्ण धनराशि राजस्व देयों की भांति वसूल की जायेगी तथा इकाई को काली सूची में डालते हुए भविष्य में किसी भी प्रकार की शासकीय आर्थिक सहायता हेतु अपात्र घोषित कर दिया जायेगा।

9. यह आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू होगें।

भवदीय,

(नवनीत सहगल)
अपर मुख्य सचिव

संख्या-236 /(1)/18-4-2022, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. अपर मुख्य सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. आयुक्त एवं निदेशक उद्योग, उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय उ0प्र0 कानपुर।
3. वित्त नियंत्रक, उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय, उ0प्र0 कानपुर।
4. निदेशक, उत्तर प्रदेश निर्यात संवर्धन परिषद, लखनऊ।
5. समस्त परिक्षेत्रीय अपर/संयुक्त निदेशक, उद्योग, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त उपायुक्त, जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केन्द्र, उत्तर प्रदेश।
7. संयुक्त निर्यात आयुक्त, निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो उ0प्र0 लखनऊ।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(पन्ना लाल)
संयुक्त सचिव

E-office Ashwani

Gateway port scheme

संख्या-298 /18-4-2022-10(बजट)/07

प्रेषक,

नवनीत सहगल
अपर मुख्य सचिव
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

1.समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन
2.समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश
3.समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-4 लखनऊ: दिनांक 13 मई, 2022

विषय:- गेटवे पोर्ट तक निर्यात हेतु भेजे गए माल के भाड़े पर अनुदान योजना।

महोदय,

उत्तर प्रदेश भू-आच्छादित राज्य होने के कारण निर्यात उत्पादों को बन्दरगाहों तक ले जाने में प्रदेश के निर्यातकों को समुद्र के किनारे स्थित राज्यों के निर्यातकों की अपेक्षा माल के भाड़े के रूप में अपेक्षाकृत अधिक लागत वहन करनी पड़ती है, जिसके कारण प्रदेश के विभिन्न अंचलों में पारम्परिक उत्पादन कौशल होते हुए भी निर्यात का विकास वांछित स्तर का नहीं हो पाता है। उक्त के दृष्टिगत शासनादेश संख्या-668/18-4-08-10(बजट)/07, दिनांक 06.02.2008 द्वारा "गेटवे पोर्ट तक निर्यात हेतु भेजे गए माल के भाड़े पर अनुदान योजना" प्रारम्भ की गयी है। तत्क्रम में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के अन्तर्गत प्रदेश के निर्यातकों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी जा रही है। शासनादेश संख्या-1000/18-4-2020-58(विविध)/14, दिनांक 17 दिसम्बर 2020 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश निर्यात नीति 2020-25 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों के क्रम में योजनान्तर्गत पूर्व में निर्गत समस्त शासनादेशों को अवक्रमित करते हुए "गेटवे पोर्ट तक निर्यात हेतु भेजे गए माल के भाड़े पर अनुदान योजना" के अन्तर्गत दावों को ऑनलाइन दाखिल किये जाने की प्रक्रिया का सरलीकरण करते हुए निम्नानुसार आर्थिक सहायता उपलब्ध कराये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम श्रेणी की समस्त औद्योगिक इकाइयों को उत्पादन स्थल से गेटवे पोर्ट तक निर्यात हेतु भेजे जाने वाले माल के भाड़े पर किये गये व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु इनलैण्ड कन्टेनर डिपो, कन्टेनर फ्रेट स्टेशन, ट्रक एवं कुछ भाग ट्रक तथा शेष भाग

E-office Ashwani

इनलैण्ड कन्टेनर डिपो के माध्यम से भेजे जाने पर 20 फिट कन्टेनर पर रू0 10,000/- तथा 40 फिट कन्टेनर पर रू0 20,000/- अथवा माल के भाड़े पर किये गये कुल व्यय का 25 प्रतिशत (जो भी कम हो) की दर से आर्थिक सहायता प्रदान की जायेगी । योजनान्तर्गत किसी भी निर्यातक इकाई को एक वितीय वर्ष में अधिकतम धनराशि रू0 20.00 लाख की आर्थिक सहायता अनुमन्य होगी ।

2. गेटवे पोर्ट के अन्तर्गत समुद्री बन्दरगाहों के अतिरिक्त वे शुष्क बन्दरगाह (Dry Port) भी शामिल हैं, जिनसे होकर प्रदेश के निर्यातकों द्वारा पड़ोसी देशों को निर्यात किये जाने वाले ट्रक/कन्टेनर गुजरते हैं अथवा भेजे जाते हैं।

3. योजनान्तर्गत आर्थिक सहायता हेतु निर्यातक इकाई द्वारा पोर्टल पर दावा ऑनलाइन फाइल करने, उपायुक्त उद्योग द्वारा दावे का परीक्षण कर निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो उ0प्र0 लखनऊ को संस्तुत किये जाने की प्रक्रिया निम्नानुसार निर्धारित की जाती है:-

(3.1) निर्यातक इकाई द्वारा कन्साइनमेन्ट निर्यात हेतु विदेशी क्रेता को भेजे जाने के उपरान्त, शिपमेन्ट की तिथि से अधिकतम 180 दिनों के अन्दर, अपना दावा विभाग के पोर्टल पर ऑनलाइन फाइल कर दिया जायेगा। उक्त अवधि के पश्चात फाइल किये जाने वाले दावे स्वीकार नहीं किये जायेंगे। आवेदन की तिथि से अधिकतम 15 दिनों के अन्दर आवेदन पत्र में हुई त्रुटियां स्वयं निर्यातक इकाई द्वारा संशोधित की जा सकेंगी।

(3.2) सम्बन्धित जनपद के उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केन्द्र द्वारा दावे को उनके पोर्टल पर प्रदर्शित होने की तिथि से अधिकतम 21 दिनों की अवधि में परीक्षणोपरान्त पूर्ण पाये गये दावे निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो को अग्रसारित किये जायेंगे तथा अपूर्ण पाये गये दावों की स्थिति में पोर्टल पर ही अपूर्णता का विवरण ऑनलाइन अंकित करते हुए निर्यातक इकाई को वापस (Revert) कर दिये जायेंगे।

(3.3) सम्बन्धित निर्यातक इकाई द्वारा उपायुक्त उद्योग जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र के स्तर पर अपूर्ण पाये गये दावों से सम्बन्धित कमियों का निवारण करते हुए अधिकतम 15 दिवसों के अन्दर सुसंगत अभिलेखों को पुनः अपलोड करना होगा। निर्यातक इकाइयों के स्तर पर वांछित कार्यवाही उक्त अवधि में पूर्ण न किये जाने की स्थिति में दावा स्वतः निरस्त माना जायेगा।

(3.4) निर्यातक इकाई के स्तर से अपूर्णता का निवारण करते हुए दावे से सम्बन्धित सुसंगत अभिलेख अपलोड किये जाने के पश्चात उपायुक्त उद्योग द्वारा पुनः परीक्षणोपरान्त अधिकतम 21 दिनों की अवधि में अपनी सुस्पष्ट संस्तुति के साथ दावा निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो उ0प्र0 लखनऊ को अग्रसारित किया जायेगा।

E-office Ashwani

(3.5) उपायुक्त उद्योग जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र द्वारा 21 दिन की निर्धारित समय सीमा में निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो को अग्रसारित अथवा अपूर्णता की स्थिति में इकाई को वापस (Revert) न किये जाने की स्थिति में दावे स्वतः निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो को अग्रसारित हो जायेंगे। निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो द्वारा इस सम्बन्ध में दायित्व निर्धारित करते हुए सम्बन्धित अधिकारी के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

4. सम्बन्धित जनपद के उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केन्द्र द्वारा अग्रसारित किये गये समस्त दावों की स्वीकृति हेतु निम्नानुसार समिति का गठन किया जायेगा :-

1	निर्यात आयुक्त, निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो, उत्तर प्रदेश	अध्यक्ष
2	आयुक्त/अपर आयुक्त, व्यापार कर एवं जी.एस.टी. विभाग, उत्तर प्रदेश	सदस्य
3	निदेशक, कृषि विपणन एवं विदेश व्यापार विभाग, उत्तर प्रदेश	सदस्य
4	प्रतिनिधि, कन्टेनर कारपोरेशन ऑफ इण्डिया	सदस्य
5	वित नियंत्रक, उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय उत्तर प्रदेश	सदस्य
6	निदेशक, उत्तर प्रदेश निर्यात संवर्धन परिषद	सदस्य
7	सम्बन्धित जनपद के उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग	सदस्य
8	संयुक्त/अपर निर्यात आयुक्त, निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो, उत्तर प्रदेश	सदस्य सचिव

5. योजनान्तर्गत निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो को प्राप्त होने वाले समस्त दावों को स्वीकृति हेतु उक्तानुसार गठित समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा। दावों की स्वीकृति हेतु उक्त समिति की बैठक प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में आहूत की जायेगी। किसी वित्तीय वर्ष में योजनान्तर्गत समुचित बजट उपलब्ध न होने की स्थिति में अवशेष दावों का भुगतान अगले वित्तीय वर्ष में प्राप्त बजट से किया जायेगा।

6. यह सुविधा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 द्वारा समय-समय पर परिभाषित उत्तर प्रदेश की समस्त सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम श्रेणी की ऐसी निर्यातक इकाइयों को उपलब्ध होगी जो आवेदन करने के समय निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो, उत्तर प्रदेश में पंजीकृत होंगी।

7. निर्यातक इकाइयों द्वारा दावों को ऑनलाइन फाइल किये जाने की प्रक्रियात्मक दिशा-निर्देश निर्गत किये जाने एवं उसमें संशोधन किये जाने का अधिकार निर्यात आयुक्त में निहित होगा तथा दावों के परीक्षण हेतु अपलोड किये जाने वाले यथोचित अभिलेखों का

E-office Ashwani

निर्धारण एवं उनमें संशोधन निर्यात आयुक्त, निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो की अध्यक्षता में उक्तानुसार गठित समिति के परामर्श से किया जा सकेगा।

8. योजनान्तर्गत प्रतिपूर्ति हेतु अनुदान की धनराशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर के माध्यम से निर्यातक इकाई के बैंक खाते में इलेक्ट्रानिकली अन्तरित की जायेगी।

9. यह आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू होंगे।

भवदीय,

(नवनीत सहगल)
अपर मुख्य सचिव

संख्या- 298 (1)/18-4-2022, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. आयुक्त एवं निदेशक उद्योग, उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय उ0प्र0 कानपुर।
3. आयुक्त/अपर आयुक्त, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
4. प्रबन्ध निदेशक, कन्टेनर कारपोरेशन आफ इण्डिया।
5. वित्त नियंत्रक, उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय उत्तर प्रदेश।
6. निदेशक, उत्तर प्रदेश निर्यात संवर्धन परिषद, लखनऊ।
7. समस्त परिक्षेत्रीय अपर/संयुक्त निदेशक, उद्योग, उत्तर प्रदेश।
8. समस्त उपायुक्त, जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केन्द्र, उत्तर प्रदेश।
9. संयुक्त निर्यात आयुक्त, निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो उ0प्र0।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(पन्ना लाल)
संयुक्त सचिव

E-office Ashwani

Air freight rationalization scheme

संख्या-235 /18-4-2022-35(बजट)/07

प्रेषक,

नवनीत सहगल
अपर मुख्य सचिव
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

1. निर्यात आयुक्त,
निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो, उ0प्र0
लखनऊ
2. आयुक्त एवं निदेशक उद्योग,
उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय उ0प्र0
कानपुर

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग - 4 लखनऊ:दिनांक 13 मई, 2022

विषय:- वायुयान भाड़ा युक्तिकरण योजना।

महोदय,

वायुयान भाड़ा युक्तिकरण योजनान्तर्गत प्रदेश में स्थित एयर कार्गो काम्पलेक्स के माध्यम से पैरिशेबल गुड्स, कृषि, औद्यानिक तथा औद्योगिक उत्पादों का निर्यात करने वाले निर्यातक इकाइयों को आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। उत्तर प्रदेश निर्यात नीति- 2020-25 में निर्यात प्रक्रिया का सरलीकरण करते हुए वायुयान भाड़ा युक्तिकरण योजनान्तर्गत प्रदेश में स्थित एयर कार्गो काम्पलेक्स के माध्यम से निर्यात करने वाली निर्यातक इकाइयों के साथ-साथ ऐसी निर्यातक इकाइयों को भी आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया है, जिनके द्वारा प्रदेश के बाहर स्थित एयर कार्गो काम्पलेक्स के माध्यम से पैरिशेबल गुड्स, कृषि, औद्यानिक तथा औद्योगिक उत्पादों का निर्यात किया जाता है। अतः इस संबंध में पूर्व में निर्गत समस्त शासनादेशों को अवक्रमित करते हुए शासनादेश संख्या- 1000/18-4-2020-58(विविध)/ 14, दिनांक 17 दिसम्बर 2020 द्वारा प्रख्यापित निर्यात नीति के अनुक्रम में "वायुयान भाड़ा युक्तिकरण योजना" के अन्तर्गत दावों को दाखिल किये जाने की प्रक्रिया को ऑनलाइन करने, प्रदेश के बाहर स्थित एयर कार्गो काम्पलेक्स के माध्यम से किये जाने वाले

E-office Ashwani

निर्यात पर भी आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने तथा योजनान्तर्गत अनुमन्य आर्थिक सहायता में निम्नानुसार वृद्धि किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

1. योजनान्तर्गत आर्थिक सहायता प्रदेश के ऐसे समस्त निर्यातकों को प्रदान की जायेगी, जिनके द्वारा प्रदेश में उत्पादित शीघ्र नाशवान वस्तुओं (पैरिशेबल गुड्स), कृषि एवं औद्यानिक उत्पादों तथा औद्योगिक उत्पादों का देश में स्थित एयर कार्गो काम्पलेक्स के माध्यम से निर्यात किया जा रहा है।

2. उत्तर प्रदेश से शीघ्र नाशवान वस्तुओं (पैरिशेबल गुड्स), कृषि एवं औद्यानिक उत्पादों तथा औद्योगिक उत्पादों का वायुमार्ग से किये गये निर्यात के माल के भाड़े (जिसमें कार्गो हैण्डलिंग से सम्बन्धित अन्य व्यय भी सम्मिलित होंगे) पर व्यय धनराशि की 25 प्रतिशत अथवा रू0 100/- प्रति कि0ग्रा0 की दर से (जो भी कम हो) आर्थिक सहायता प्रदान की जायेगी। इस योजना के अंतर्गत एक निर्यातक इकाई को एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम रू0 5.00 लाख (रु0 पांच लाख मात्र) तक की आर्थिक सहायता अनुमन्य होगी।

3. योजनान्तर्गत आर्थिक सहायता हेतु निर्यातक इकाइयों को योजना के पोर्टल पर दावों को ऑनलाइन फाइल किये जाने की प्रक्रिया निम्नवत निर्धारित की जाती है:-

(3.1) निर्यातक इकाई द्वारा निर्यात उत्पाद वायु मार्ग से विदेशी क्रेता को भेजे जाने के उपरान्त , भेजे जाने की तिथि से अधिकतम 180 दिनों के अन्दर अपना दावा विभाग के पोर्टल पर ऑनलाइन फाइल किया जायेगा तथा आवेदन की तिथि से अधिकतम 15 दिनों के अन्दर आवेदन पत्र में हुई त्रुटियों/अपूर्णताओं का निराकरण/संशोधन किया जा सकेगा।

(3.2) निर्यातक इकाई द्वारा पोर्टल पर फाइल किये गये दावे सम्बन्धित जनपद के उपायुक्त उद्योग , जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केन्द्र द्वारा पोर्टल पर उनके स्तर पर प्रदर्शित होने की तिथि से अधिकतम 21 दिनों के अन्दर परीक्षण कर निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो को अग्रसारित किये जायेंगे। ऐसे दावे जो योजनान्तर्गत निर्धारित अभिलेखों के अभाव में अपूर्ण पाये जायेंगे, को अपूर्णता का पूरा विवरण ऑनलाइन अंकित करते हुए, सम्बन्धित निर्यातक इकाई को वापस (Revert) कर दिया जायेगा। उपायुक्त उद्योग द्वारा रिवर्ट किये गये दावों को सम्बन्धित निर्यातक इकाई द्वारा कमियों का निवारण करते हुए अधिकतम 15 दिवसों के अन्दर पुनः ऑनलाइन फाइल किया जा सकेगा। निर्धारित समयावधि में वांछित कार्यवाही पूर्ण न किये जाने की स्थिति में दावा स्वतः निरस्त माना जायेगा। उपायुक्त उद्योग द्वारा ऐसे दावे भी पुनः परीक्षण कर अधिकतम 21 दिवसों में निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो उ0प्र0 लखनऊ को अग्रसारित किये जायेंगे।

(3.3) उपायुक्त उद्योग द्वारा 21 दिन की निर्धारित समय सीमा में निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो को अग्रसारित अथवा अपूर्णता की स्थिति में इकाई को वापस (Revert) न किये जाने की स्थिति में दावे स्वतः निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो को अग्रसारित हो जायेंगे। निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो द्वारा इस सम्बन्ध में दायित्व निर्धारित करते हुए सम्बन्धित अधिकारी के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

E-office Ashwani

(3.4) निर्यातक इकाइयों द्वारा ऑनलाइन फाइल किये गये ऐसे दावों, जो योजनान्तर्गत पात्रता की श्रेणी में नहीं आते हैं, को उपायुक्त उद्योग द्वारा निरस्तीकरण के कारणों का स्पष्ट उल्लेख करते हुए निरस्त किये जाने की संस्तुति सहित निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो को अग्रसारित किये जायेंगे।

4. योजनान्तर्गत प्राप्त होने वाले समस्त दावों को स्वीकृत/अस्वीकृत किये जाने का अधिकार निर्यात आयुक्त, निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो में निहित होंगे। स्वीकृत दावों का भुगतान प्रथम आवत प्रथम पावत के सिद्धान्त के आधार पर किया जायेगा। योजनान्तर्गत समुचित बजट उपलब्ध न होने की स्थिति में अवशेष दावों का भुगतान अगले वित्तीय वर्ष के बजट से किया जायेगा।

5. यह सुविधा उत्तर प्रदेश की ऐसी निर्माता/वाणिज्यिक (Manufacturing/Merchant) निर्यातक इकाइयों को उपलब्ध होगी, जो आवेदन करने के समय निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो, उत्तर प्रदेश में पंजीकृत होंगी।

6. निर्यातक इकाइयों द्वारा दावों को ऑनलाइन फाइल किये जाने के प्रक्रियात्मक दिशा-निर्देश निर्गत किये जाने एवं उसमें संशोधन किये जाने का अधिकार निर्यात आयुक्त, निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो में निहित होंगे तथा दावों के परीक्षण हेतु अपलोड किये जाने वाले यथोचित अभिलेखों का निर्धारण एवं उनमें संशोधन निर्यात आयुक्त के स्तर से किया जा सकेगा।

7. योजनान्तर्गत प्रतिपूर्ति हेतु अनुदान की धनराशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर के माध्यम से निर्यातक इकाई के बैंक खाते में इलेक्ट्रानिकली ट्रान्सफर की जायेगी।

8. यह आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू होंगे।

भवदीय,

(नवनीत सहगल)
अपर मुख्य सचिव

संख्या-235(1) /18-4-2022, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5. आयुक्त/अपर आयुक्त, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
6. प्रबन्ध निदेशक, कन्टेनर कारपोरेशन आफ इण्डिया।
7. वित्त नियंत्रक, उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय उ0प्र0 कानपुर।

E-office Ashwani

8. निदेशक, उत्तर प्रदेश निर्यात संवर्धन परिषद, लखनऊ
9. समस्त परिक्षेत्रीय अपर/संयुक्त निदेशक, उद्योग, उत्तर प्रदेश
10. समस्त उपायुक्त, जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केन्द्र, उत्तर प्रदेश।
11. संयुक्त निर्यात आयुक्त, निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो उ0प्र0।
12. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(पन्ना लाल)
संयुक्त सचिव

E-office Ashwani

UP's Export Performance

UP contributed to ~5% of India's export during Apr21-Feb22

Uttar Pradesh maintained ~5% contribution to India's exports for the 4th consecutive month, showcasing a stable export performance post the COVID rebound. UP's exports increased from INR 107,424 Crore during April 2020 – February 2021 to INR 140,124 Crore during April 2021 – February 2022.

UP's overall export performance

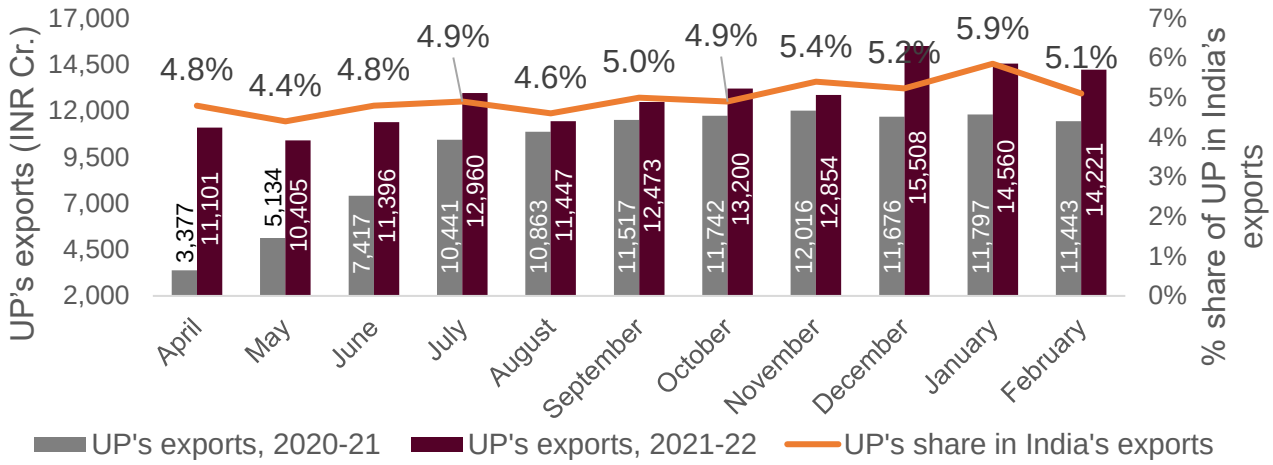

Uttar Pradesh's exports maintained their momentum in the key geographies of USA (21%), UAE (10%), Nepal (6%), UK (5%) and Germany (5%). The state also explored several other geographies with a high potential for scaling up, like, Egypt, Netherlands, France, Italy, Spain, Malaysia, Bangladesh, Indonesia, etc.

USA, UAE and Nepal are the top 3 trade partners of Uttar Pradesh, contributing to approximately 40% of the state's exports

Top 10 markets catered by the state of Uttar Pradesh

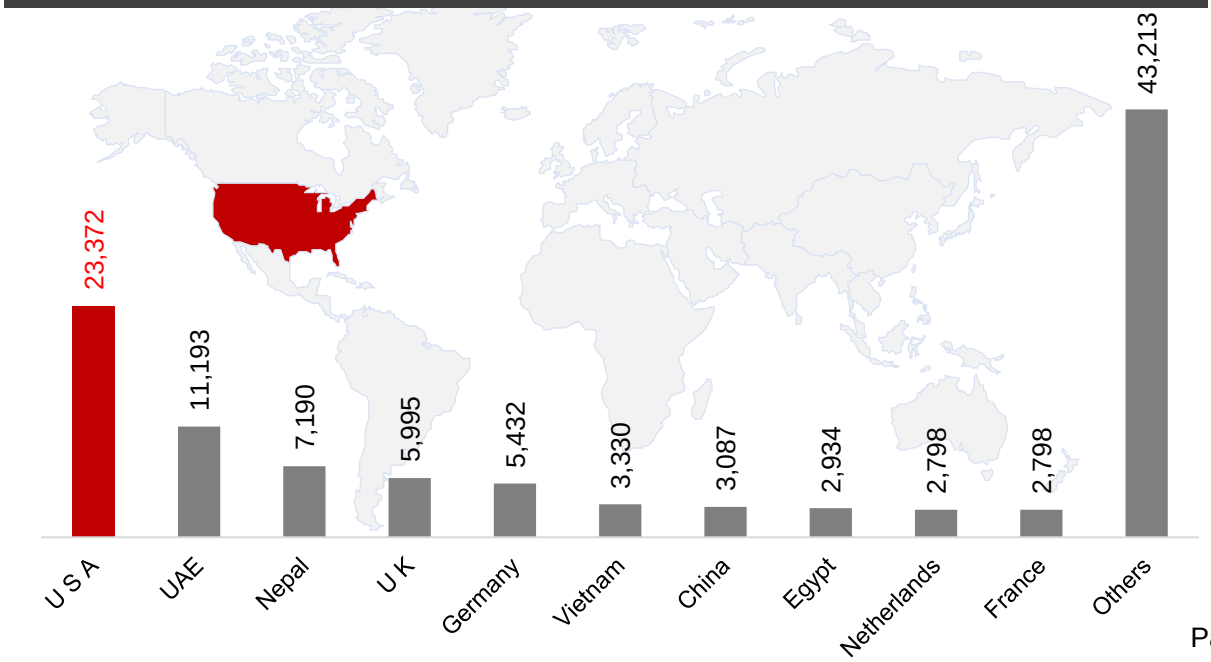

District wise share in UP's exports

S.No.	District	Total exports Apr. – Feb. 2022(INR Cr)	% share in state's exports
	Uttar Pradesh (All districts)	145,930	100.0%
1	GB Nagar	59,327	40.7%
2	Ghaziabad	16,419	11.3%
3	Moradabad	10,324	7.1%
4	Kanpur nagar	8,586	5.9%
5	Aligarh	5,113	3.5%
6	Agra	4,991	3.4%
7	Bhadohi	3,633	2.5%
8	Unnao	3,625	2.5%
9	Sonbhadra	3,227	2.2%
10	Amroha	2,532	1.7%
11	Meerut	2,148	1.5%
12	Gonda	1,992	1.4%
13	Sambhal	1,710	1.2%
14	Saharanpur	1,607	1.1%
15	Rampur	1,560	1.1%
16	Bulandshahr	1,490	1.0%
17	Mathura	1,384	1.0%
18	Barabanki	1,238	0.9%
19	Lucknow	1,216	0.8%
20	Kanpur dehat	1,032	0.7%
21	Hapur	947	0.7%
22	Bareilly	941	0.7%
23	Bahraich	846	0.6%
24	Maharajganj	836	0.6%
25	Mirzapur	819	0.6%
26	Bijnor	800	0.6%
27	Deoria	722	0.5%

Heatmap for exports from Uttar Pradesh
(April 2021 – February 2022)

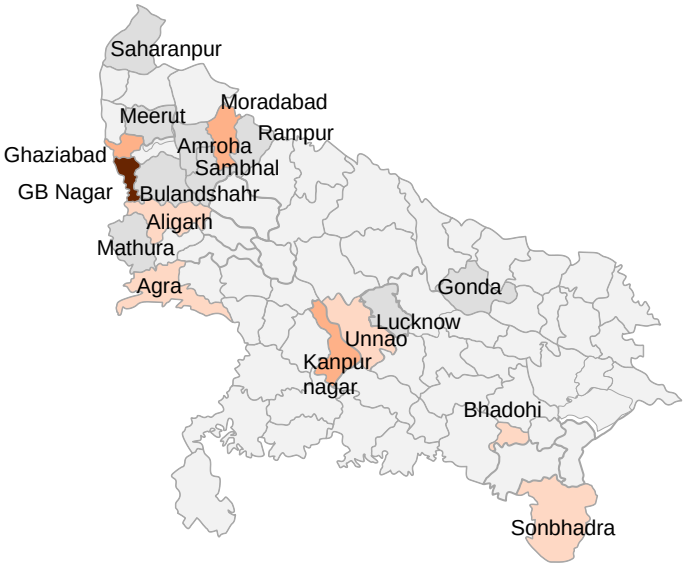

Legend:

More than 10% | 5% - 10% | 2% - 5% | 1% - 2% | Less than 1%

S.No.	District	Total exports Apr. – Feb. 2021 (INR Cr)	% share in state's exports
28	Firozabad	615	0.4%
29	Baghpat	600	0.4%
30	Muzaffarnagar	578	0.4%
	Other	5,073	3.5%

The spatial distribution of exports from Uttar Pradesh largely followed a similar pattern. Ghaziabad's contribution to the state's exports increased from 7.6% to 11.3%. G.B. Nagar continued to be the largest contributor, with a share of ~41% in the state's exports.

A large share of state's exports originates from North-western Uttar Pradesh. Other key regions are central UP (Kanpur, Lucknow, Unnao, etc.) and Eastern UP (Varanasi, Mirzapur, Sonbhadra, etc.).

Commodity wise export analysis

Hs Code	Commodity Description	UP's exports, April 20– February 21 (INR Cr.)	UP's exports, April 21- February 22 (INR Cr.)
	Total	**107,424**	**140,124**
85	Electricals & electronics	18,853	25,619
02	Meat And Edible Meat Offal	12,792	13,347
62	Apparels, Not Knitted or Crocheted	7,188	10,137
73	Articles Of Iron & Steel	4,120	5,957
84	Machinery & equipment	3,846	5,618
64	Footwear, Gaiters, similar articles & their accessories	4,278	5,474
87	Road Vehicles And their parts	3,239	5,108
76	Aluminium & Articles Thereof	4,062	5,010
57	Carpets And Other Textile Floor Coverings	4,042	4,922
10	Cereals	3,855	4,734
94	Furniture, Bedding, Lighting, Fittings & other articles	2,406	4,254
29	Organic Chemicals	3,615	3,766
42	Articles Of Leather , Saddlery Harness etc.	2,458	3,533
17	Sugars And Sugar Confectionery	2,666	3,339
61	Apparels, Knitted or Crocheted	2,250	2,858
27	Mineral Fuels, Oils & their derivative products	1,622	2,724
44	Wood & Articles Of Woods ; Wood Charcoal	1,453	2,283
63	Other made up textile articles	1,564	2,102
83	Miscellaneous articles of Base Metal	1,417	2,094
39	Plastics And Articles Thereof	1,657	1,895
70	Glass & Glassware	1,394	1,795
71	Gems & Jewellery	1,320	1,770
72	Iron & Steel	826	1,677
33	Essential Oils, perfumes, Cosmetics & similar prep.	1,850	1,538
41	Raw Hides and Skins	1,274	1,535
	Others	13,376	17,033

For budding exporters

Journey map of an exporter

Getting export ready

- Obtain company registration with PAN, IEC, RCMC, etc.
- Obtain product specific licenses, certificates, etc.
- Identify product with export potential and target market
- Market assessment and export compliance risk assessment

Obtaining the first order

- Reach out to the importers via different marketing channels
- Participate in product specific trade shows/ exhibitions for visibility
- Undertake digital/ physical marketing activities in targeted markets
- Obtain orders from 3rd party agencies like, import agents, commission agents, etc.
- Establish the payment terms

Manufacturing, quality & certification conformity

- Identify the buyer specifications & trade barriers
- Sample testing & approval from the importer
- Obtain necessary quality conformity certificates
- Packaging, palletization and crating

Transport

- Establish the Delivery terms, export insurance, etc.
- Custom clearances and documentation
- End to End Logistics management – seller's location to buyer destination

Exports order fulfilment

The editorial board

Editor-in-chief
Dr. Navneet Sehgal,
ACS, Deptt. of MSME &
Export Promotion,

Editor
Pawan Agarwal,
Director,
UPEPC

Team Leader
Umesh Chandra,
Deputy Commissioner,
EPB-UP

Team members

B.C. Tiwari
Senior Consultant,
UPEPC

Sujeta Pandey
Assistant Commissioner,
EPB-UP

Rochna Srivastava
Assistant Commissioner,
EPB-UP

Veena Sharma
Assistant Commissioner,
EPB-UP

Aishwarya Giri
Additional Statistical Officer,
EPB-UP

Shivangi Singh
Assistant Commissioner,
EPB-UP

Rajkumar Tomar
Assistant Commissioner,
EPB-UP

Contact Us

Uttar Pradesh Export Promotion Council
Niryat Bhawan, 8, Cantt. Road, Qaiserbagh,
Lucknow – 226001
Ph. +91 (522) 2202893
Email: upepclko@gmail.com Website: www.upepc.org

Exporter Helpdesk
Email: helpdesk.upepc.2020@gmail.com
Phone No.: +91 (522) 2971253